



संख्या-26/2026/एस-05/38-2-2026/001-38-2002-099-1-2026

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव,
उOप्रO शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय,
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बक्शी का तालाब, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 25 फरवरी, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजी लेखा पक्ष में बजट व्यवस्था के सापेक्ष अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के परिसर में ओवर हेड टैंक का निर्माण/भवनों का जीर्णोद्धार कार्यों की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-696/SIRD-BNL/50/2025 (299141) दिनांक 07 जनवरी, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजी लेखा पक्ष में बजट व्यवस्था के सापेक्ष अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान परिसर में ओवर हेड टैंक का निर्माण/भवनों का जीर्णोद्धार कार्यों की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि नयी माँग के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-60 अन्य भवन-051-निर्माण-04-दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ-24-वृहद निर्माण कार्य में पृथक-पृथक दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के परिसर में ओवर हेड टैंक का निर्माण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

कार्य हेतु रू0 34.12 लाख एवं दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के परिसर में भवनों को जीर्णोद्धार हेतु रू0 331.02 लाख अर्थात् कुल धनराशि 365.14 लाख की व्यवस्था की गयी है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ के परिसर में भवनों का जीर्णोद्धार कार्य एवं संस्थान के परिसर में ओवर हेड टैंक का निर्माण कार्य हेतु मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0, ग्रा0वि0 उ0प्र0 द्वारा दोनों प्राक्कलनों का समेकित रूप से तकनीकी परीक्षण/मूल्यांकन धनराशि रू0 443.16 लाख (रू0 392.44 लाख जीर्णोद्धार कार्य एवं रू0 50.72 लाख ओवर हेड टैंक हेतु) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष में दोनों परियोजनाओं में प्राविधानीत बजट रू0 365.14 लाख (रूपये तीन करोड़ पैंसठ लाख चौदह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुये समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) इस धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजना पर ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व महानिदेशक, एस0आई0आर0डी0, लखनऊ का होगा तथा धनराशि का पूर्ण उपयोग हो जाये उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित कर दिया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (4) उक्त निर्माण कार्य स्वीकृत लागत से निर्धारित समयावधि में ही पूरे किये जायेंगे। इस हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।
- (5) प्रायोजना स्थल के अनुसार यदि आवश्यक हो तो नियमानुसार वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (6) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्ययोजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्ययोजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (7) महानिदेशक, एस0आई0आर0डी0, लखनऊ द्वारा मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0, ग्रा0वि0 उ0प्र0 के पत्र दिनांक 30-12-2025 द्वारा अधिरोपित शर्तों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- (8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ महानिदेशक, एस0आई0आर0डी0, लखनऊ का होगा।
- (9) उक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में न रखी जाये।
- (10) वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च 2025 तथा अन्य/सुसंगत शासनादेशों, मानकों में प्रावधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा शासनादेश में दिये गये अन्य दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(11) परियोजना की डी०पी०आर० गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(12) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(13) मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी०ए०सी० ग्रा०वि० उ०प्र० द्वारा आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(14) आगणन का तकनीकी परीक्षण मुख्य प्राविधिक परीक्षक एपेक्स तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ ग्राम्य विकास उ०प्र० द्वारा परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। डी०जी०एस०आई०आर०डी०, लखनऊ द्वारा इस आशय का उल्लेख संबंधित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा। परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाय।

(15) प्रायोजनान्तर्गत उपलब्ध भूमि के अनुरूप वाह्य स्थल के कार्यों यथा- सी०सी० रोड, ड्रेन, इंटरलाकिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बोरिंग आदि की लागत एवं मात्राएँ भिन्न हो सकती है। अतः उक्त हेतु न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार प्रावधान किया जाये।

(16) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-5/2021/फाइल नं०-65-2013/2/2019-2 दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन के क्रम में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

दिव्यांगजन हेतु भवनों को दिव्यांगजन हितैषी/वाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in india, 2021" में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा भवन का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(17) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(18) प्रायोजनान्तर्गत मिट्टी भराई हेतु जिलाधिकारी द्वारा गठित रिपोर्ट की संस्तुति के आधार पर मिट्टी भराई मद में धनराशि देय होगी।

(19) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(20) उक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा, जिस बाउचर संख्या एवं जिस तिथि को धनराशि कोषागार से आहरित की जाय, उसका विवरण महालेखाकार, 30प्र0 एवं महानिदेशक दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाव, लखनऊ एवं शासन को अविलम्ब प्रेषित किया जाय तथा धनराशि के पूर्ण उपयोग की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय। निर्माण कार्य के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रतिमाह महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाव लखनऊ को भेजी जाय।

(21) स्वीकृत धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च 2025 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी, वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार आहरण एवं वितरण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले छः माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

(22) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिस मद/कार्य हेतु दी जा रही है उसी मद कार्य में ही व्यय की जायेगी। इसका किसी अन्य मद/कार्य में व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(23) धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(24) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्रुत धनराशि के व्यय हेतु संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था व निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(25) परियोजना में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21-06-2017 में दिये गये दिशा निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06-06-1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(26) कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित किया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार ही हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समय में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ का होगा।

(27) प्रस्तावित निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के शिड्यूल रेट से कराया जायेगा।

(28) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें व्याज अर्जित होता है, तो अर्जित व्याज को निर्धारित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

लेखाशीर्ष में जमा कराने/गाइडलाइन्स में निहित व्यवस्थानुसार समायोजन/व्यय करने का दायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब लखनऊ/कार्यदायी संस्था का होगा।

(29) महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा सेनटेज चार्ज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबंधन के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17.05.2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19.05.2023 में निहित दिशा निर्देश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(30) आंकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ का होगा।

(31) धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में मितव्यायिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,65,14,000 (रुपये तीन करोड़ पैंसठ लाख चौदह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 013 लेखा शीर्षक 4059600510400 दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-2-149-X-2025-26, दिनांक 02.02.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

संख्या-26/2026/एस-05/38-2-2026/001-38-2002-099-1-2026

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
- 3- आयुक्त, ग्राम्य विकास उ०प्र०, लखनऊ को बजट की समेकित सूचना के अनुश्रवण हेतु।
- 4- नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाव लखनऊ।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ०प०।
- 7- वित्त (आय-व्ययक) अनु०-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनु०-4
- 8- ग्राम्य विकास अनुभाग-5
- 9- निदेशक कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
- 10- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड लखनऊ।
- 11- गार्ड बुक।

आजा से
चन्द्रिका प्रसाद
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।